अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
राजस्व विविध वाद संख्याः– 14/1996–97
सरकार(अंचल अधिकारी, राजमहल)–बनाम–सिकन्दर शेख

ांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी–उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार राजमहल ने अभिलेख हस्तांतरित करते हुए सूचित किया है कि मौजा– असारीटेक, खाता सं0–135, खेसरा सं0–71, कुल रकवा–462–14–15 धूर जमीन अनावादी खाता अन्तर्गत झीलकर खतियान में दर्ज है जिसका अंश रकवा–15 बीघा सिकन्दर शेख के नाम से पंजी–II में दर्ज है जो बोगस जमाबंदी प्रतीत होता है के संबंध में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नही किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षो से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे है जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नही है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 15/6/23 अपर उपायुक्त, साहेबगंज। (हस्ताक्षर) 15/6/23 अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.06.22 12:01:11 +05:30
Location: 192.168.1.17

Scanned with OKEN Scanner